न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्री मनोज कुमार मीणा, आर०ए०एस०**
राजस्व वाद संख्या : **91/2024**
GCMS NO. : **2024/167**

-: प्रार्थीगण :-	बनाम	-: अप्रार्थीगण :-
1. हगराम पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी लितरिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज0।		1. कुम्भाराम पुत्र मदनलाल 2. केसरीमल पुत्र मोहनलाल 3. प्रेमचंद पुत्र मोहनलाल 4. भरतनारायण पुत्र मदनलाल जतियान नाई निवासी लितरिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज0। 5. तहसीलदार, जैतारण तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 **तारीख रजू:-29.04.2024**

उपस्थितः- 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री पुष्पेन्द्र सैन, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनाँकः-09/12/2025**

अधिवक्ता मय प्राथीगण ने एक राजस्व प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा लितरिया, पटवार हल्का काणेचा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में प्रार्थी की खातेदारी एवं कहते काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 304 रकबा 2.5090 हेक्टयर किस्म चाही चारम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी ने प्रार्थी व अन्य सहखातेदार काश्तकार है तथा मौके पर प्रार्थी की खातेदारी अलग से बंटी हुई है। नकल जमाबन्दी व नक्शा देस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि में जाने के लिये मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड में कोई वेकल्पिक रास्ता नही है परन्तु प्रार्थी के खातेदारी भूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा मे अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 194 रकबा 1.6026 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की भूमि आई हुई है। इस भूमि के आगे अर्थात अप्रार्थीगण की भूमि के उत्तर दिशा में मुख्य आम रास्ता आया हुआ है अर्थात मौके पर एवं राजस्व रेकर्ड में आम रास्ता खसरा नम्बर 193 है। आम रास्ता एवं प्रार्थी की भूमि के बीच में अप्रार्थीगण की भूमि है जिससे होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये उपयोग में ले रहे है परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी की भूमि में जाने का कोई रास्ते का इन्द्राज नहीं है व न ही आस पास कोई वैकल्पिक रास्ता है। नकल जमाबन्दी व नक्शा अप्रार्थीगण की भूमि का प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थी की भूमि में जाने के लिये मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से प्रार्थी की भूमि में जाने हेतू एक मात्र वैकल्पिक रास्ता जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 194

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

अप्रार्थीगण की भूमि के भू भाग में लाल स्याही से मार्क ए से बी दर्शाया गया जो सबसे निकटतम् रास्ता है और प्रार्थी उक्त नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते को अपनी भूमि में आने जाने हेतु सावर्जनिक रास्ता घोषित करवाने के लिये यह प्रार्थनापत्र पेश है। प्रार्थनापत्र के साथ नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ता बाबत् पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जाने के लिये आस पास कोई रास्ता नहीं होने से प्रार्थी खसरा नम्बर 194 की भूमि में से जो नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है उससे अपनी भूमि मे आते जाते है परन्तु वर्तमान मे अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को भी मौके पर बन्द कर दिया और मौके पर रास्ता बन्द कर देने से प्रार्थी के पास अपनी भूमि में जाने हेतू मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है और वैकल्पिक व निकटतम रास्ता नही होने से प्रार्थी अपनी भूमि का उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थीगण की भूमि में से नजरी नक्शे में वर्णित लाल स्याही से दर्शित रास्ते को सावर्जनिक रास्ता 30 फिट चौडा घोषित किया जावे और रास्ते के भू भाग का जो भी रकबा बनेगा उस रकबे की डी एल सी रेट की दर से जो भी राशि बनेगी वह राशि प्रार्थी अप्रार्थीगण को अदा करने को तैयार है। इसलिए प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने हेतू नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते को सावर्जनिक रास्ते के रूप में घोषित किया जावे व राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज कर मौके पर 30 फिट चौडा रास्ता सुचारू करवाने हेतू यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रार्थी ने अपनी आराजी में आने जाने वाले रास्ते को सावर्जनिक रास्ता घोषित करवाने हेतू दिनांक 28.03.2024 को अप्रार्थीगण से निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि में से रास्ता देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया जबकि प्रार्थी के पास इस नजरी नक्शे में वर्णित रास्ते के अलावा कोई दुसरा निकटतम् व वेकल्पिक रास्ता नही है। पूर्व में प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते थे परन्तु वर्तमान मे उक्त रास्ते को बंद कर देने से प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने हेतू भारी बाघा व अड़चन हो रही है। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण की आराजी मे से नजरी नक्शे में वर्णित भू भाग को सावर्जनिक रास्ता घोषित करवाने हेतू यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रार्थी की भूमि में जाने हेतू कोई रास्ता मौजूद नही होने पर अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बंद करने और रास्ता देने से स्पष्ट इन्कार करने पर बमुकाम लितरिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज. मे पैदा हुआ जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र, दस्तावेजात व नजरी नक्शा पेश कर निवेदन है कि सरहद मौजा लितरिया पटवार हल्का काणेचा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजå मे स्थित प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 304 मे जाने हेतू अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 194 में से नजरी नक्शे में वर्णित लाल स्याही से मार्क ए से बी प्रस्तावित रास्ता को सावर्जनिक रास्ते के रूप मे 30 फिट चौडा रास्ता घोषित किया जावे एवं राजस्व रेकर्ड व नक्शा ट्रेस में अलग से सावर्जनिक रास्ते के रूप में इन्द्राज किया जाकर मौके पर रास्ते को खुलवाया जावे एवं रासते के भू भाग का नापचौप किया जावे और उसका बनने वाला रकबा के लिए डीएलसी रेट से दुगुनी राशि प्रार्थी से जमा करने के पश्चात मौके पर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ते के रूप मे सुचारू करवाया जावें एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता पुष्पेन्द्र सैन ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 को अनेकानेक अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने से जवाब अवसर बंद किया गया।

तहसीलदार जैतारण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गय तहसीलदार जैतारण से सार्वजनिक रास्ता दिये जाने के संबंध में रिपोर्ट न्यायालय हाजा के आदेश क्रमांक/कोर्ट/2024/673 दिनांक 13.06.2024 द्वारा चाही गई थी, तहसीलदार जैतारण ने अपनी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./24/667 दिनांक 11.12.2024 द्वारा पेश कर कथन किया कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लितरिया के खसरा संख्या 304 रकबा 2.5090 हैक्टर में सहखातेदार है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार उक्त खसरा संख्या के कोई रास्ता नही लग रहा है। प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु रास्ते के निम्न विकल्प है- मार्क एबी जो कि ग्राम लितरिया के खसरा संख्या 194 में से 32 मीटर लम्बा व 06 मीटर चौड़ा कुल 192 वर्गमीटर है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता कृषि कार्य हेतु आवश्यक है एवं उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर नही चल रहा है। प्रार्थी के खसरा संख्या 304 में आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं व्यावहारिक है। मार्क ए बी प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर निर्माण नही है, उक्त रास्ता खसरा संख्या 193 गै.मु. ठरड़ा जिस पर रास्ता चल रहा है जिसमें जाकर मिल रहा है। प्रस्तावित रास्ता मार्क ए बी खसरा संख्या 194 में से है, जो कि असिंचित एवं ग्रामीण कच्चे रास्ते पर स्थित है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की आत्यधिक आवश्यकता का है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस उभयपक्षकारान् पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

प्रार्थी हगराम द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अर्न्तगत ग्राम चक लितरिया पटवार हल्का काणेचा भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल की संयुक्त सामलाती खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 304 रकबा 2.5090 हैक्टर किस्म चाही चारम के लिये पहुंच मार्ग हेतु रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थनपत्र के साथ प्रस्तुत भू अभिलेख दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के द्वारा जिस खसरा नम्बर 304 के लिये रास्ते की मांग की जा रही है। वह संयुक्त अविभाजित सहखातेदारी भूमि है जिसमें सहखातेदारान् के मध्य कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। ऐसी दशा में यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि उक्त खसरा की भूमि में प्रार्थी हगराम का हिस्सा जिसके लिये रास्ते की मांग की जा रही है वह कहां

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

अवस्थित है। उक्त खसरा की भूमि में एक अन्य नन्दलाल पुत्र नहनुराम सह खातेदारान् है, जिसका उक्त खसरे में 3/4 हिस्सा आता है लेकिन प्रार्थी के रूप में केवल एक सहखातेदार हगराम द्वारा ही रास्ते की मांग की गई है। ऐसी दशा में हस्तगत प्रार्थनापत्र स्वीकार करना विधि संगत एवं उचित नहीं होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनॉक 09/12/2025 को सर-ए-एजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-ब्यावर)